


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2)एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक-11.06.2014 एवं एफ1(2)एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक-07.08.2014 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क.स.	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1.	विनिता प्रजापत, व्या. इतिहास राउमावि, उपनी-बीकानेर	21.03.2018 से 23.03.2018 27.03.18	03 दिन 01 दिन कुल 04 दिन
2	दुर्गेश गुजर, व्या. वाणिज्य राउमावि, बडगांव-उदयपुर	23.06.2017 से 06.07.2017	14 दिन



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/माध्य/संस्था/सी2/इति-वाणि/स्थायी./अ.अवकाश/18 दिनांक:-28/11/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :-

1. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय,
3. संबंधित ब्लाक शिक्षा अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
6. रक्षित प्रत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर